संख्या /VI-I/2008–44(युवा)2002

प्रेषक,

एस0एस0वल्दिया,
उपसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एव प्रान्तीय रक्षक दल,
देहरादून।

युवा कल्याण अनुभागः देहरादून दिनांक 25 जून 2008

विषयः **निदेशालय हेतु आवासीय भवनों के निर्माण हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या 135/दो–1598/2008–2009 दिनांक 12 मई 2008, शासनादेश संख्या 74/VI-I/2006–44(युवा)2002 दिनांक 10 अक्टूबर 2006, शासनादेश संख्या 120/VI-I/2008–44(युवा)2002 दिनांक 31 अक्टूबर 2008 तथा शासनादेश संख्या 42/VI-I/2006–44(युवा)2002 दिनांक 12 मार्च 2008 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल निदेशालय एवं राज्य युवा कल्याण परिषद में कार्यरत अधिकारियों /कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों के निर्माण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–09 में इस निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि रू0 37.80 लाख (रू0 सैंतीस लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितना कि स्वीकृत नार्म हैं,स्वीकृति नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

3. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

4. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी हैं, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जायें।

5. निर्माण सामग्री प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाये तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जायें।जी0पी0डब्लू फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर प्रतिशत की दर से आगंणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

6. मुख्य सचिव उत्तरांचल के शासनादेश सं0 2047 XII–219/(2006) दिनांक 30 मई 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य कराते समय अथवा आगंणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

7. उपरोक्त आंवटित धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदों के लिये यह स्वीकृत किया जा रहा हैं। यहा यह भी स्पष्ट किया जाता हैं कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता हैं, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक हैं।

8. किसी भी में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका,बजट मैनुअल,भंडार कय नियम तथा मितव्ययता सम्बन्धी समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. उक्त धनराशि के पूर्ण उपयोग एवं कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शीघ्र शासन की उपलब्ध कराया जाए।

10. उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008–2009 के अनुदान संख्या –11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –4202–शिक्षा,खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय –03–खेलकूद तथा युवा सेवा खेलकूद स्टेडियम –102–खेलकूद स्टेडियम (लधुशीर्षक 108 के स्थान पर) –10–युवा कल्याण निदेशालय के आवासीय भवनों का निर्माण –24–बृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस0एस0वल्दिया)
उपसचिव

पृष्ठांकन संख्याः– 150/VI-I/2008–44(युवा)2002 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी,उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय देहरादून।
3– निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन/नियोजन अनुभाग/
7– एन0आई0सी0 सचिवालय देहरादून।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव